UPBJ240001732016

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, बिजनौर।

फौजदारी वाद सं0: 321/2016

सरकार बनाम प्रमोद आदि

मु0अ0सं0– 562/2015

थाना– नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

<u>आरोप</u>

मैं, अखिल कुमार निझावन, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर आप **प्रमोद** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 06–09–2015 को समय 21.00 बजे, स्थान जलालाबाद बाईपास ढाबे के पास, सीमान्तर्गत थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में आपने वाहन ट्रैक्टर पंजीकरण सं0 यू.पी. 20 एन 7804 को असावधानीपूर्वक चलाते हुए वादी मुकदमा मरगूब अली उर्फ पप्पू के भाई मौ0 इल्यास उर्फ गुड्डू की जाईलो गाड़ी पंजीकरण सं0 डी.एल.7 सी.के. 2894 में सामने से टक्कर मारकर वादी मुकदमा के भाई के चोटें कारित की। इस प्रकार आपने धारा **279** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय – यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ एकराय होकर वादी मुकदमा मरगूब अली उर्फ पप्पू के भाई मौ0 इल्यास उर्फ गुड्ड एवं उसके साढू कमरूद्दीन को मारपीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने धारा **323** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीय – यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ एकराय होकर वादी मुकदमा उपरोक्त के भाई के साढू कमरूद्दीन को धारदार हथियार से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने धारा **324** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा उपरोक्त के भाई मौ0 इल्यास उर्फ गुड्डू व उसके साढू कमरूद्दीन को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के उददेश्य से गन्दी–2 गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने धारा **504** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा उपरोक्त के भाई मौ0 इल्यास उर्फ गुड्डू व उसके साढू कमरूद्दीन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। इस प्रकार आपने धारा **506** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

दिनांक: 22–06–2022

(अखिल कुमार निझावन)
जे0एम0, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी. 03212

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और विचारण किये जाने की याचना की।

दिनांक: 22–06–2022

(अखिल कुमार निझावन)
जे0एम0, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी. 03212

UPBJ240001732016

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, बिजनौर।

फौजदारी वाद सं0: 321/2016

सरकार बनाम प्रमोद आदि

मु0अ0सं0– 562/2015

थाना– नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

आरोप

मैं, अखिल कुमार निझावन, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर आप **टीटू, राजू एवं सुरेन्द्र सिंह** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 06–09–2015 को समय 21.00 बजे, स्थान जलालाबाद बाईपास ढाबे के पास, सीमान्तर्गत थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में आप लोगों ने एकराय होकर वादी मुकदमा मरगूब अली उर्फ पप्पू के भाई मौ0 इल्यास उर्फ गुड्ड एवं उसके साढू कमरूद्दीन को मारपीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **323** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय – यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने एकराय होकर वादी मुकदमा उपरोक्त के भाई के साढू कमरूद्दीन को धारदार हथियार से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **324** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा उपरोक्त के भाई मौ0 इल्यास उर्फ गुड्डू व उसके साढू कमरूद्दीन को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के उददेश्य से गन्दी–2 गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **504** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा उपरोक्त के भाई मौ0 इल्यास उर्फ गुड्डू व उसके साढू कमरूद्दीन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **506** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

दिनांकः 22–06–2022

(अखिल कुमार निझावन)
जे0एम0, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी. 03212

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण किये जाने की याचना की।

दिनांकः 22–06–2022

(अखिल कुमार निझावन)
जे0एम0, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी. 03212